

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (C-PACE)

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (C-PACE) ने कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक 70-90 दिनों तक सुव्यवस्थिति कर दिया है।

- इसका उद्देश्य **छह महीने** के भीतर कंपनियों को **स्वैच्छिक रूप से बंद करने** की प्रक्रिया में तेजी लाना है।
 - **5 अगस्त 2024** से, C-PACE को **सीमिति देयता भागीदारी (LLP)** को समाप्त करने से संबंधित ई-फॉर्म के प्रसंस्करण का अधिकार भी दिया गया है।
- C-PACE को कंपनी बंद करने की प्रक्रिया को **केंद्रीकृत और सुव्यवस्थिति करने** के लिये **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)** द्वारा लॉन्च किया गया था।
 - यह **कंपनी रजिस्ट्रार (RoC)** के अधीन कार्य करता है, जो MCA के अंतर्गत एक कार्यालय है।
- यह हतिधारकों के साथ **भौतिक संपर्क** की आवश्यकता को समाप्त करके **'व्यापार करने में आसानी'** को सुगम बनाता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 248, कंपनी रजिस्ट्रार को किसी कंपनी का नाम **कंपनी रजिस्ट्रार** से हटाने का अधिकार देती है।
 - **IBC की धारा 59** के अंतर्गत **स्वैच्छिक परसिमापन** अब अधिक सुव्यवस्थिति है, क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिये **NCLT** के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
- **अमेरिका** में कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने में **90 से 180 दिन का समय** लगता है, जबकि **जर्मनी** में इसमें **एक वर्ष से अधिक** का समय लगता है।

और पढ़ें: [कॉर्पोरेट गवर्नेंस](#)